सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

जनजातीय सशक्तिकरण
गौरवशाली भारत

जनजातीय कार्य मंत्राालय की
प्रमुख उपलब्धियां
2014–15 से 2022–23

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

जनजातीय सशक्तिकरण
गौरवशाली भारत

जनजातीय कार्य मंत्राालय की
प्रमुख उपलब्धियां
2014–15 से 2022–23

राजस्थान

के विशेष संदर्भ में

विषयवस्तु

प्रस्तावना

1. परिचय 1

2. मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं.. 2

3. जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोणः ईएमआरएस 3-5

4. जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोणः छात्रवृत्ति 6-8

5. जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई)..................................9

6. सतत और लाभप्रद आजीविका 10-11

7. राज्यों को अनुदान 12-16

8. गैर सरकारी संगठन 17

9. वन अधिकार अधिनियम (2006) 18

10. जनजातीय गौरव दिवस 19

11. सफलता की कहानी 20

शब्दावली 21

अर्जुन मुंडा
ARJUN MUNDA

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सत्यमेव जयते

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

प्रस्तावना

यह हर्ष का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के सशक्तिकरण, कल्याण और विकास से संबंधित राज्य-वार पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित कर रहा है।

इस श्रृंखला में यह दूसरी पुस्तिका राजस्थान राज्य से संबंधित पुस्तिका है, श्रृंखला की पहली पुस्तिका कर्नाटक राज्य पर आधारित थी । राज्य की अनुसूचित जनजातियों के बारे में तथ्यों के अलावा, यह पुस्तिका राजस्थान में लागू की गई मंत्रालय की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

मंत्रालय की प्रमुख योजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" है जिसमें शुरूआत के बाद से, निर्माण की लागत और प्रति छात्र आवर्ती लागत दोनों में तेजी से वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। इसके अलावा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया है कि ये स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में 30 ईएमआरएस पूरी क्षमता से जनजातीय छात्रों को बेहतरीन शिक्षा सुलभ करवा रहें हैं ।

हमारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में डिजिटीकरण और धन की निर्मुक्ति ने प्रक्रियाओं को काफी सरल और उन्हें पारदर्शी बना दिया है। यह गर्व की बात है कि मंत्रालय लगभग चौंतीस (34) लाख मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रों को सार्वभौमिक कवरेज के आधार पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

जनजातियों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न तरीकों से कार्य कर रहा है । ट्राइफेड, जनजातीय उत्पादों के लिए एक विपणन मंच के रूप में काम करने के अलावा, लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के साथ-साथ वन धन विकास केंद्रों का गठन करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जनजातीय उद्यमियों को नियमानुसार काफी कम ब्याज दरों के साथ-साथ छात्र ऋण भी प्रदान करता है। यह पुस्तिका ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

बहु-क्षेत्रीय गतिविधियों की परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान पूर्व की जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष घटक सहायता (एससीए) (जिसे अब प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के रूप में भी नया रूप दिया गया है) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक संरक्षण और विकास के लिए योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है। राजस्थान ऐसी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है और हमें उम्मीद है कि यह मंत्रालय के जनजातियों के विकास के लक्ष्यों में भागीदार बना रहेगा।

● 751, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Tel. : 011-23381499, 23388482, 23070577 (Fax)
E-mail : arjun.munda@gov.in

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रशासित करने के साथ-साथ जनजातीय सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और आजीविका के संरक्षण, और संवर्धन के लिए और जनजातीय लोगों को समझने के लिए हमारे ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

सरकारी योजनाएँ जहाँ कुछ जनजातीय क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ हैं, वहाँ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान की योजना के द्वारा विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में, जनजातीय समुदायों की मदद की जाती है। इसी तरह, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में परियोजनाएँ शुरू की हैं।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 को जनजातीय आबादी के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में सही रूप से सराहा गया है। यह विशिष्ट रूप से जंगलों और जनजातियों के बीच सहजीवी संबंध को सुनिश्चित करता है। मंत्रालय ने अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में राजस्थान की उपलब्धियों को यहां प्रलेखित किया गया है ।

अंतिम, बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी आजादी के लिए विदेशी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले जनजातीय नायकों को सम्मनित करने के लिए, भारत सरकार ने 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। मुझे वर्ष 2021 और 2022 में इस दिन के राजस्थान सहित देशव्यापी समारोहों को देखकर खुशी हुई ।

मंत्रालय इस बात से भी अच्छी तरह परिचित है कि जनजातियों की एक अनूठी संस्कृति और शक्ति है जो उन्हें कई कठिनाइयों के बावजूद एक संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। वास्तव में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना, जीवन को पूर्णता से जीना और खुशी प्राप्त करने के कई सबक हैं, जो जनजातीय समुदाय बाकी दुनिया को सिखा सकते हैं। यह मंत्रालय इस देश की जनजातीय आबादी को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के बराबर और सर्वश्रेष्ठ लाने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना जारी रखेगा, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान का प्रसार भी करेगा जो इन विविध समुदायों को राष्ट्र और दुनिया को प्रदान करना है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, पूरे देश के दृष्टिकोण के सहित, हितधारक के साथ साझेदारी में किया जाएगा ।

(अर्जुन मुंडा)

• 751, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Tel. : 011-23381499, 23388482, 23070577 (Fax)
E-mail : arjun.munda@gov.in

1 परिचय

- 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92,38,534 है और राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है।

- राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजाति समुदाय और 1 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय सहरिया (पीवीटीजी) हैं।

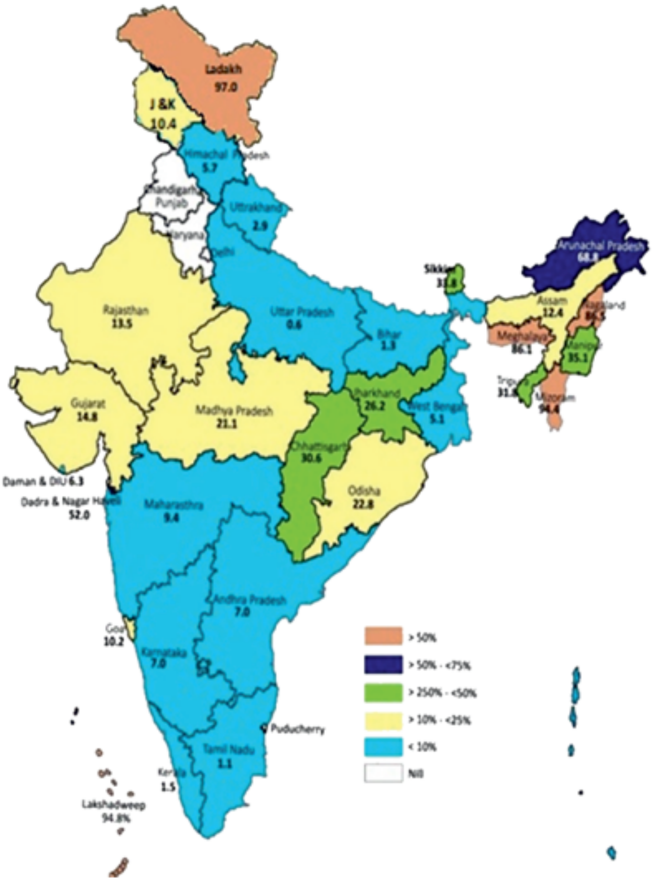

- जनजातीय विकास और संबंधित मामलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की।

- 2021 में भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया।

2 मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं

शिक्षा

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS)	
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (Pre-Matric Scholarship Scheme)	योग्य उम्मीदवारों के लिए सार्वभौमिक
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme)	
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी) (National Scholarship Scheme)	
राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (National Fellowship Scheme)	चयन द्वारा
राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (National Overseas Scholarship Scheme)	

बहु क्षेत्रीय (Multi Sectoral) योजनाएँ: राज्यों को अनुदान

- अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
- पीवीटीजी के विकास के लिए योजना
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

शोध, निगरानी और मूल्यांकन

- जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को सहायता
- निगरानी और मूल्यांकन, कार्यक्रम, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा

ईएमआरएस डुंगरपुर, राजस्थान

आजीविका

- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
- अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि
- उत्तर पूर्व में जनजातीय उत्पादों का लौजिस्टिक और मार्केटिंग व्यवस्था
- एनएसटीएफडीसी को सहायता

3 जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोणः ईएमआरएस योजना

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

योजना की मुख्य विशेषताएं

- अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997-98 में ईएमआरएस की शुरूआत की गई। 2018-19 में इस के लिए विशेष एक अलग योजना बनाई गई।
- कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए।
- प्रति स्कूल 480 छात्र।
- प्रारंभ में अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानित।
- 740 (452 नए + 288 पुराने) ईएमआरएस को 2026 तक स्थापित किया जाएगा।
- 5 करोड़ रूपये की दर से 211 पुराने स्कूलों का नवीकरण।
- प्रति स्कूल 5 करोड़ रूपये की दर से 15 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (क्रीडा क्षेत्र) की स्थापना।
- 28919.72 करोड़ रूपये की स्वीकृति 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए।

	2014	2023
₹ आवर्ती लागत	42,000.00 प्रति छात्र प्रति वर्ष	1,09,000.00 प्रति छात्र प्रति वर्ष
पूंजी लागत	12.00 करोड़ (मैदानी) 16.00 करोड़ (पहाड़ी/कठिन/पूर्वोत्तर)	37.80 करोड़ (मैदानी) 48.00 करोड़ (पहाड़ी/कठिन/पूर्वोत्तर)

बजट घोषणाएं

2018-19:
"50% या अधिक और 20,000 एसटी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा, जो नवोदय विद्यालय के समकक्ष होगा।

2021-22:
"ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत को 20 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 37.8 करोड़ रूपये और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए, 48 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है। इससे हमारे आदिवासी छात्रों के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाएं बनाने में मदद मिलेगी।"

राजस्थान	2014	2023
कार्यशील विद्यालय	8	30

3.1 जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: ईएमआरएस योजना

राजस्थान में अपने परिसर में कार्यशील ईएमआरएस का सारांश

स्कीम	कुल लक्षित ईएमआरएस	कुल स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यशील विद्यालय	निर्मित विद्यालय
अनुच्छेद 275 (1)	18	18	17	17
नई योजना	13	13	13	7
कुल	31	31	30	24

जिला स्तर विवरण

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
1	अलवर	राजगढ़	मल्लाना	300
2	अलवर	रेली	पाटन	316
3	बांसवाड़ा	अनंदपुरी	पंडोला	479
4	बांसवाड़ा	अनंदपुरी	सुंदराव	479
5	बांसवाड़ा	बागीडोरा	पांसला	125
6	बांसवाड़ा	बासवाड़ा	डबरीमल	160
7	बांसवाड़ा	गढ़ी	परखेला	160
8	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	चुराड़ा	420
9	बरन	शाहबाद	हनोतिया	341
10	डूंगरपुर	डूंगरपुर	गुमानपुरा	198
11	डूंगरपुर	सबला	परदा चुंडावत	476
12	डूंगरपुर	सागवाड़ा	सूरजगाँव	80
13	डूंगरपुर	सिमलवाड़ा	सीमलवाड़ा	467
14	जयपुर	बस्सी	बिहारीपुरा	327
15	जयपुर	जामवारामगढ़	मठसूला	-
16	करौली	टोडाभीम	रानोली	231
17	प्रतापगढ़	अरनोद	नागदेरा	118
18	प्रतापगढ़	धरियावाड़	पंचगुराह	160
19	प्रतापगढ़	पीपलखुंट	मथुगमदा	198
20	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	टेमरवा	480

3.2 जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोण: ईएमआरएस योजना

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
21	सवाई माधोपुर	बामनवास	बरनाला	246
22	सिरोही	आबू रोड़	दानववए वार्ड नं. 31	450
23	टोंक	नेवाई	निवाई ग्रामीण	463
24	उदयपुर	गोगुन्दा	ददिया	257
25	उदयपुर	झाड़ोल	जोताना	119
26	उदयपुर	खेरवाड़ा	खंडिओवरी उपलाफला	120
27	उदयपुर	कोटरा	कोटरा	344
28	उदयपुर	लसड़िया	कुन	89
29	उदयपुर	ऋषभदेव	कागदार	478
30	उदयपुर	सलूम्बर	प्रेम नगर	120
31	उदयपुर	शारदा	पीपलखूंट	200

छात्रगण	
छात्र	छात्रा
5460	2762

4 शिक्षा के क्षेत्र में जनजातियों के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोणः छात्रवृत्ति

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

मंत्रालय मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति नाम से 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है।

योजना की उपलब्धियां

- हर साल 30 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिल रहा है।
- छात्रवृत्ति योजना का आरंभ से अंत तक डिजिटलीकरण।
- छात्रवृत्ति सीधे छात्र के खाते में जमा की जाती है।
- एमआईएस, उमंग मोबाईल ऐप, एडीवी, डीबीटी पोर्टल पर राज्यों द्वारा डेटा साझा करना।
- ऑनलाइन छात्र सत्यापन प्रक्रिया - 331 विश्वविद्यालयों का एकीकरण - फेलाशिप योजना।
- शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा।
- राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनिवार्य प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए डिजी लॉकर का उपयोग।
- मंत्रालय की उपलब्धि और पहल का समीक्षात्मक डैशबोर्ड, प्रयास पीएमओ डैश बोर्ड, डीबीटी भारत पोर्टल पर डेटा साझा किया गया।

4.1 डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	पाठ्यक्रम कवर किया गया	पात्रता
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (Pre-Matric Scholarship)	कक्षा 9-10	• कक्षा 9-10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए • माता-पिता की आय 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (Post-Matric Scholarship)	सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा से ऊपर) पाठ्यक्रम	• किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक के बाद के सभी पाठ्यक्रमों (11 से पीएच.डी स्तर तक) में पढने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र जिन्होंने कक्षा 10 (मैट्रिक) या समकक्ष उत्तीर्ण किया है। • माता-पिता की आय 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3क.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)	उत्कृष्ट संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर	• आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी जैसे 265 उत्कृष्ट संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए चयनित छात्र। • माता-पिता की आय 6 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3ख.	राष्ट्रीय फेलोशिप (National Fellowship)	पीएचडी, एम.फिल, एकीकृत एम.फिल + पीएचडी	• एम.फिल, पीएचडी, और एकीकृत एम.फिल + पीएचडी के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 750 फेलोशिप। • न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री
4.	राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (National Overseas Scholarship)	स्नातकोत्तर, पीएचडी और विदेश में पोस्टडॉक्टोरल	• विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल के अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 20 नए छात्र। • माता-पिता की आय 6 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.2 डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

छात्रवृत्ति योजनाएं: 2014-15 से 2022-23				
	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	
	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी
समस्त भारत				
संचित	255948.10	11835438	1415784.17	18468084
औसत/वर्ष	28438.68	1315049	157309.15	2052009
राजस्थान राज्य				
संचित	25623.26	1266039	144704.22	1942648
औसत/वर्ष	2847.03	140671	16078.00	215850
	राष्ट्रीय फेलोशिप 2014-15 से 2022-23		राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2015-16 से 2022-23	
	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी
समस्त भारत	54355.45	5697	16576.14	7069
राजस्थान	2190.13	265	2172.27	1154
	राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति 2014-15 से 2022-23			
	जारी अनुदान (लाख में)		कुल विद्यार्थी	
समस्त भारत	2026.46		88	
राजस्थान	168.41		5	

5 जनजातीय शोध संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन

टीआरआई के उद्देश्य

- जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान और मूल्यांकन
- व्यक्तिगत/परिवार आधारित अधिकारों के लिए डेटाबेस तैयार करना
- जनजातीय कला और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रलेखन
- विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता-संवर्धन
- जनजातियों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भ्रमण
- जनजातीय उत्सवों का आयोजन
- रिपॉजिटरी का विकास और रखरखाव
- नए स्मारकों/संग्रहालयों का निर्माण और रखरखाव
- जनजातीय शोध संस्थानों का भवन निर्माण।

2014-15 से 2022-23 तक टीआरआई राजस्थान को जारी अनुदानः 748.06 लाख रु.

वित्तिय वर्ष	जारी अनुदान (रु. लाख में)
2014-15	77.33
2015-16	63.25
2017-18	169.25
2018-19	214.00
2020-21	8.89
2021-22	215.34
कुल	748.06

6 सतत और लाभप्रद आजीविका

वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)
जनजातियों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका:

संरचना

- 'पीएमजेवीएम' की योजना के तहत वीडीवीके घटक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी - ट्राइफेड
- वीडीवीके - जनजातीय उत्पादों/उपज की खरीद मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र
- प्रत्येक वीडीवीके एसएचजी के लगभग 20 सदस्य
- 15 वीडीवीके एसएचजी लगभग 300 सदस्य से एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) का गठन
- मजबूत शासन तंत्र - राज्य नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementation Agency) और परामर्श एजेंसियां

गतिविधियां

- वीडीवीके के संवर्धन, प्रशिक्षण और उपकरण सहायता के लिए ट्राइफेड के माध्यम से एसआईए को 15 लाख रूपये का केंद्रीय अनुदान
- वीडीवीके - मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग के लिए जनजातीय स्टार्ट-अप
- मोबाइल ऐप और जीआईएस के माध्यम से सभी जनजातीय लाभार्थियों, वीडीवीके एसएचजी और वीडीवीके का डिजिटलीकरण
- गुणवत्ता जांच के माध्यम से वीडीवीके का पैनल, ट्राइफेड 'ट्राइब इंडिया, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से बिक्री

समस्त भारत	कवरेज (मार्च, 2023 तक)	राजस्थान
10,63,290 लाभार्थी		**144803** लाभार्थी
55,036 वन धन - एसएचजी		
3555 वीडीवीके		**479** वीडीवीके
रूपये **52,777.05** लाख रूपये की स्वीकृत निधियां	₹	रूपये **7135.6** लाख रूपये की स्वीकृत निधियां

6.1 आजीविका को सुदृढ़ बनाना

एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएंः

Term Loan

- 50.00 लाख रु. प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए
- एनएसटीएफडीसी से 90% तक की सहायता और शेष राशि सब्सिडी/मार्जिन मनी आदि के माध्यम से पूरी की जाती है
- ब्याज दर 6-8-10% के बीच में

Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY)

- अनूसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना
- 2 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक की वित्तीय सहायता
- 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर

Micro Credit Scheme

- एसटी एसएचजी के सदस्यों की लघु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- 50,000 रूपये प्रति सदस्य की सीमा के साथ प्रति एसएचजी 5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता
- ब्याज दर 6% प्रति वर्ष

Adivasi Shiksha Rrinn Yojana

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- एनएसटीएफडीसी से 90% तक की सहायता, प्रति परिवार 6% की दर से अधिकतम 10 लाख रूपये* का ऋण

(रू0 लाख में)

राज्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण
राजस्थान	1364	1470.54	3993	2311.39	2664	2205.16	588	508.60

7 राज्यों को अनुदान

बहु-क्षेत्रीय योजनाएं (Multi Sectoral Schemes):

➡ विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को अनुदान निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान किया जाता है:

क. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

ख. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) (जनजातीय उप-योजना को विशष केंद्रीय सहायता की योजना)

ग. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना ।

➡ नीचे दिए गए क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को दिए गए अनुदान:

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पोषण
- बुनियादी ढांचे का विकास
- सड़क संपर्क
- खेल - कूद
- बाजार और मूल्य शृंखला विकास
- आजीविका
- स्वास्थ्य
- पशुपालन
- सिंचाई और जल विभाजन प्रबंधन
- पेय जल
- पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco-Tourism)
- कला और संस्कृति

7.1 राज्यों को अनुदान

पीवीटीजी के विकास के लिए योजना

मुख्य विशेषताएं

- 75 पीवीटीजी - 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
- राजस्थान में सहरिया नाम का 1 पीवीटीजी।
- योजना के अंतर्गत क्षेत्रः शिक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, इत्यादि।

2014-15 से 2022-23 तक राजस्थान को जारी अनुदानः 9715.99 लाख रु.

क्र. सं.	राजस्थान राज्य को स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं (योजना के तहत - पीवीटीजी के लिए सीसीडी योजना)
1.	सहरिया पीवीटीजी के लिए माँ बाड़ी केंद्रों का संचालन
2.	सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय
3.	जिला चिकित्सालय बारां में 30 बिस्तरीय कुपोषण उपचार केन्द्र का निर्माण
4.	शासकीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग
5.	जनश्री बीमा योजना

7.2 राज्यों को अनुदान

जनजातीय उप-योजना को विशष केंद्रीय सहायता की योजना

जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना के तहत 2014-15 से 2020-21 तक राजस्थान को जारी अनुदान *: 69,228.54 लाख रु.

क्र. सं.	राजस्थान राज्य को स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं (योजना के तहत - टीएसएस को एससीए)
1	छात्रावासों का निर्माण
2	आश्रम विद्यालयों एवं छात्रावासों का उन्नयन
3	बैंक से जुड़ा स्व-रोजगार
4	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना
5	सिंचाई
6	मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां
7	आजीविका गतिविधियाँ - मुर्गी पालन
8	छात्रावासों का निर्माण

* जनजातीय उप-योजना जिसका नामकरण 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) है, 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता को संशोधित किया है।

7.2.1 राज्यों को अनुदान

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

अखिल भारतीय

उद्देश्य

चिन्हित अंतरों के आधार पर 36,428 गाँवों का व्यापक विकास।

मानदंड

कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले गाँव।

- प्रशासनिक व्यय सहित स्वीकृत गतिविधियों के लिए अंतर भरण (गैप फिलिंग) के रूप में प्रति ग्राम 20.38 लाख रूपये।

(रू0 लाख में)

राज्य	गाँवों की कुल संख्या	2021-22		2022-23	
		स्वीकृत गाँव	कुल निर्मुक्त	स्वीकृत गाँव	कुल राशि
राजस्थान	4302	906	7224.71	782	15269.66

7.3 राज्यों को अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

2014-15 से 2022-23 तक राजस्थान को जारी की गई निधियां: 101297.05 लाख रू.

क्र. सं.	राजस्थान राज्य को स्वीकृत उच्च मूल्य की परियोजनाएं (योजना के तहत - अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान)
1	**EMRS** को चलाने की आवर्ती लागत
2	मौजूदा ईएमआरएस का उन्नयन
3	सड़क संपर्क
4	छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं नवीनीकरण
5	13 पुराने छात्रावासों के स्थान पर नये छात्रावास
6	सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जन स्वास्थ्य केन्द्र भवन का सुदृढ़ीकरण
8	क्रमोन्नत 113 सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रयोगशाला का निर्माण एवं विकास
9	अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए मौजूदा आवासीय विद्यालय भवनों में नए छात्रावास और कक्षा का निर्माण
10	6 नवीन महाविद्यालय कन्या छात्रावास एवं 1 बहुउद्देशीय छात्रावास का निर्माण

8 गैर सरकारी संगठन

गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' की योजना के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाना और सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतरों को कम करना है।

योजना	सांकेतिक परियोजनाएं
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान	आवासीय विद्यालय
	गैर आवासीय विद्यालय
	छात्रावास
	10 बिस्तरों वाला अस्पताल
	सचल औषधालय
	बालिकाओं के लिए शैक्षिक परिसर और छात्रावास (अनुसूचित जनजाति की कम साक्षरता वाले जिलों में)

गैर सरकारी संगठन अनुदान

	2014-15	2021-22
बजट परिव्यय	78.78 करोड़ रूपये	110.00 करोड़ रूपये
अनुदान प्रबंधन तंत्र	पूरी तरह से मैनुअल (पद्धति से)	पूरी तरह से ऑनलाइन (पद्धति से)

2014-15 से 2022-23 के दौरान राजस्थान में काम कर रहे एनजीओ को कुल जारी सहायता अनुदानः 1494.7 लाख रु.

9 वन अधिकार अधिनियम (2006)

मुख्य विशेषताएं

- 'एफआरए, 2006' में वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य परंपरागत वनवासियों (ओटीएफडी) के वन अधिकारों और वन भूमि में अधिकार को मान्यता देने और निहित करने के प्रावधान हैं
- एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है
- 31.03.2023 तक, एफआरए 2006 के तहत कुल 45,44,886 दावे (43,64,312 व्यक्तिगत और 1,80,574 समुदाय) दर्ज किए गए हैं और 1,75,68,573.88 एकड़ (व्यक्ति के लिए 46,57,605.58 एकड़ और समुदाय के लिए 1,39,10,968.30 एकड़) वन भूमि में 23,07,712 टाइटल (21,99,012 व्यक्तिगत और 1,08,700 समुदाय) वितरित किए गए हैं।
- एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों द्वारा संयुक्त-पत्र जारी किया गया है।

31.03.2023 तक प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में एफआरए के कार्यान्वयन का विवरणः

मद	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
प्राप्त दावों की संख्या	1,11,285	2,697	1,13,982
संवितरित अधिकार-पत्रों की संख्या	48,515	593	49,108
वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित (एकड़ में)	68,312.90	52,300.30	1,20,613.20

10 जनजातीय गौरव दिवस

2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती “15 नवंबर” को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित किया गया और पूरे देश में 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह हर्षोल्लास व अभिमान से मनाया गया।

मुख्य विशेषताएं (जनजातीय गौरव सप्ताह)

2021

- माननीय प्रधान मंत्री ने संसद परिसर, नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- माननीय प्रधान मंत्री ने राँची में “भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय” का उद्घाटन किया
- गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मणिपुर के तमेंगलोंग में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई।

02 भोपाल महासम्मेलन में 02 लाख से अधिक जनजातीय लोग शामिल हुए

133 जनजातीय गौरव सप्ताह (15-22 नवंबर, 2021) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

50 माननीय प्रधान मंत्री द्वारा देशभर में एकलव्य आदर्श विद्यालयों की शिलान्यास

2022

- माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष वीडियो संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए देश ‘पंच प्राण’ की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है

30.5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों की पहुंच हासिल की

401 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जनजाति गौरव दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है

80 जनजातीय गौरव सप्ताह (15-22 नवंबर 2022) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री बिश्वेश्वर टुडु, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने जन जातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने उत्सवों में सक्रिय रूप में भाग लिया और जनजातीय गौरव दिवस 2021-22 को बढ़ावा दिया।

11 सफलता की कहानी:

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के सहयोग से राजस्थान के जनजातीय आकांक्षी जिला सिरोही की आबू रोड तहसील में जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान उपग्रह केंद्र की स्थापना की है जो एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों द्वारा अक्टूबर 2020 से टेलीमेडिसिन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है।

टेलीमेडिसिन केंद्र, 8 विभागों (सामान्य चिकित्सा, पल्मोनरी मेडिसिन, सामान्य शल्य क्रिया, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल रोग, शारीरिक दवा पुनर्वास, मनोचिकित्सा और त्वचाविज्ञान) में विशेष देखभाल प्रदान करता है और 5 विभागों (कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलोजी तंत्रिका विज्ञान एंडोक्रिनोलौजी और यूरोलौजी) में सुपर स्पेशलिटी देखभाल प्रदान करता है।

केंद्र सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन भी प्रदान करता है।

टेली-परामर्श

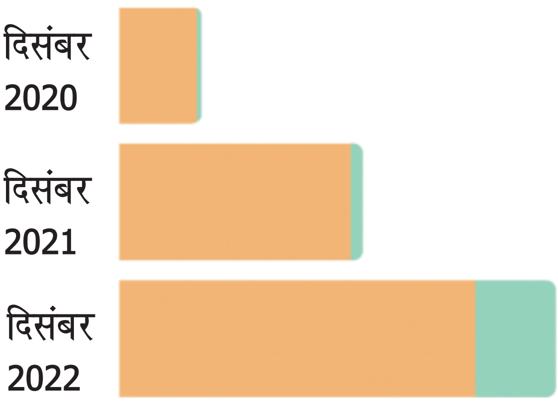

- जिला सिरोही के 4313 मरीजों को टेली-परामर्श प्रदान किया गया।
- जिला सिरोही के दूरस्थ अंचलों में टेली-परामर्श सहित 1184 मरीजों को परामर्श प्रदान किया गया।

शब्दावली

पीवीटीजी - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

ईएमआरएस - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

पीएम-एएजीवाई - प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

टीआरआई - जनजातीय शोध संस्थान

पीएमजेजेवीएम - प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

एनएसटीएफडीसी - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

वीडीवीके - वन धन विकास कार्यक्रम/वन धन विकास केन्द्र

एससीए - विशेष केंद्रीय सहायता

टीएसएस - जनजातीय उप योजना

एफआरए - वन अधिकार अधिनियम

सत्यमेव जयते
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार